न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 273/2024

धनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह व अन्य
बनाम
चेनसिंह पुत्र बागसिंह वगैरा

दिनांक 03.12.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी शेरगढ (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 132 के तहत प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में अंतर्गत धारा 131, 132 आरएलआर एक्ट के तहत पारित आदेश क्रमांकः राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2022/97 दिनांक 21.6.22 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील शेरगढ़ स्थित ग्राम खिरजा तिबना के खसरा नं0 314, 311, 485/327 व 305 में से उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस में दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया है। जिसमें सभी हितबद्ध खातेदारान को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। प्रकरण में बिना मौका रिपोर्ट मंगवाए जहां कदिमी रास्ते व पगडंडी नही थे, वहां रास्ते को राजस्व रेकर्ड दर्ज करने व नक्शें में तरमीम का आदेश कर दिया गया, जिसका कोई आधार नही है। इससे खातेदारों की समस्या और बढ़ गई है व आपस में विवाद होने लगे है। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्रकरण दर्ज किया गया और न ही आदेशिका लिखी गई। प्रकरण मे मौका फर्द नही बनायी गई तथा नक्शें पर उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा दिनांक 1.12.22 को हस्ताक्षर किए, जबकि आदेश दिनांक 21.6.24 को जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त सारी कार्यवाही विधिविरूद्ध गई है। जो अपीलांट्स के हक व हकूकों के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सभी प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई कर, राजस्व रेकर्ड एवं मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.10.24 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है, क्योंकि जहां पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है, उस स्थान से भिन्न स्थान पर पीढ़ियों से रास्ता चल रहा है, जिसे रास्ता दर्ज करवाने हेतु हम सहमत है। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार शेरगढ के प्रस्ताव पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 30.11.21 में उपस्थित मौतबिरान की सहमति के रूप में कुछ हस्ताक्षर अवश्य किए हुए है, जिनकी संख्या वर्तमान अपील के पक्षकारों से बहुत कम है। जिससे वकील अपीलांट्स का यह कथन साबित होता है कि प्रकरण में सभी हितबद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अतः उक्त प्रकरण दोनों पक्षों की सहमति से अधीनस्थ न्यायालय को सभी हितबद्ध खातेदारों की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रषित करना न्यायोचित समझा जाता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर, उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ (जोधपुर) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः राजस्व/प्र.गा. सं.अ./2022/97 दिनांक 21.6.22 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों/सह–खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

03.12.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर